

हायरी संख्या... 4530... / क०क०सि०वि०  
दिनांक 01.12.16 लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
(अधिष्ठाण-2 अनुभाग)  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक: जी-532/ई-2/

लखनऊ: दिनांक : नवम्बर, 2016

विषय: अन्तिम वरिष्ठता सूची परिचालित करने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियंता (स्तर-2)

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या:287/सत्ताईस-13-2016-324/2001, दिनांक 17.11.16 द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियंता की ज्येष्ठता कार्यालय ज्ञाप संख्या:942/सत्ताईस-1-2014-324/2010, दिनांक 04.03.14 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या:6512/27-1-2000-46डब्लू0पी0/2000, दिनांक 06.01.2001 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-207(13) पर प्रतिस्थापित श्री ठाकुर प्रसाद के नीचे तथा क्रमांक-207(14) पर अंकित श्री राम अवतार सिंह के ऊपर क्रमांक-207(13)(1) पर अन्तिम रूप से प्रख्यापित की गयी है।

अतः शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या:287/सत्ताईस-13- 2016-324/2001, दिनांक 17.11.16 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया ज्येष्ठता सम्बन्धी उक्त शासकीय आदेश अपने अधीनस्थ को परिचालित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त

(कुलदीप श्रीवास्तव)  
अधिशायी अभियंता (ई-2)  
कृते प्रमुख अभियंता, सि०एवंज०सं०वि०

पत्रांक:जी-532(1)/ई-2/दिनांक: 30.11.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या:287/सत्ताईस-13-2016-324/01, दिनांक 17.11.16 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियंता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय आदेश को वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. महासचिव, सहायक अभियंता संघ/अवर अभियंता संघ, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।

संलग्नक:यथोक्त

(कुलदीप श्रीवास्तव )  
अधिशायी अभियंता (ई-2)  
कृते प्रमुख अभियंता, सि०एवंज०सं०वि०  
Jeem

श्री अजय, क.सध

AS  
S.12.16  
AEC  
30/11/16

जा- 532/ई-2  
21/11/16

सं. 9020 / शासन  
प्रमुख अभियन्ता (सिवाइ)  
दिनांक 17/11/16

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13  
संख्या- 287 / सत्ताईस-13-2016-324 / 2001  
लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-942 / सत्ताईस-1-2014-324 / 2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रिट याचिका सं०-665(एस०बी०)/98 मो० अरशद खॉ बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं०-230(एस०बी०)/2009 अशोक कुमार राना बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों क्रमशः दिनांक 27.09.2010 तथा दिनांक 25.02.2010 के अनुपालन में दिनांक 22.09.1997 से नियमित रूप से प्रोन्नत 28 डिग्रीधारी कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 06.01.2001 द्वारा वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक नियमित रूप से नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-207 पर अंकित सहायक अभियन्ता श्री हरी प्रकाश काला के नाम के नीचे तथा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-207(ए) पर प्रतिस्थापित प्रथम सहायक अभियन्ता श्री चाँद सिंह के नाम के ऊपर क्रमांक-207(1) से 207(28) पर अन्तिम रूप से प्रख्यापित की गई है।

2- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के प्रोन्नति/विज्ञप्ति दिनांक 13.06.2016 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं०-230(एस०बी०)/2009 अशोक कुमार राणा व अन्य बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 एवं मा० लोक सेवा अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या-383/2013 दयाशंकर सिंह बनाम् उ०प्र० सरकार व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.10.2013 के अनुपालन में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री दयाशंकर सिंह (डिग्रीधारी अवर अभियन्ता) को लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र सं०-10/05/पी/एस-7/2010-11, दिनांक 18.05.2016 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य पद पर नियमित रूप से दिनांक 22.09.1997 से प्रोन्नति प्रदान की गई है।

उ०प्र० (का) ०-2)

3- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2016 एवं 21.09.2016 में श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2014 द्वारा

श्री दयाशंकर सिंह  
सहायक अभियन्ता  
दिनांक 17/11/16

18

कम्प्यूटर के-डू

08/12/16

निर्गत ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-14 पर अंकित श्री ठाकुर प्रसाद (वरिष्ठता क्रमांक-207(13) के नीचे एवं क्रमांक-15 पर अंकित श्री राम अवतार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-207(14) के ऊपर वरिष्ठता क्रमांक-207(13)(1) पर निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गयी है। तदनुसार शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-177/सत्ताईस-13-2014-324/2001 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता अनन्तिम रूप से प्रख्यापित करते हुये आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 द्वारा अवगत कराते हुये कि निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, श्री दया शंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता अंतिम रूप से प्रख्यापित करने की अपेक्षा की गयी है।

4- अतः एतद्द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता कार्यालय-ज्ञाप सं0-942/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप सं0-6512/27-1-2000-46डब्लू0पी0/2000, दिनांक 06.01.2001 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-207(13) पर प्रतिस्थापित श्री ठाकुर प्रसाद के नीचे तथा क्रमांक-207(14) पर अंकित श्री राम अवतार सिंह के ऊपर क्रमांक-207(13)(1) पर अन्तिम रूप से प्रख्यापित की जाती है।

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव

संख्या: 287 (1)/27-1-2014 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करें।
  2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
17/11/2016  
(रामचन्द्र यादव)  
संयुक्त सचिव।